न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

नाम पीठासीन अधिकारी–जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

अपील संख्या:–01/2020

कृष्ण कुमार पुत्र श्री राजाराम, जाति जाट निसासी रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

———अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

———रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन)आदेश 1976

उपस्थितः–

1. श्री अनिल शर्मा एडवोकेट–अपीलाण्ट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांकः–18.11.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनाक 06.04.2017 बअनवानी प्रकरण स्टेट बनाम कृष्ण कुमार जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किये जाने बाबत पेश हुई।

मुताबिक अपील अपीलाण्ट को ग्राम रामपुरा उर्फ रामसरा में उचित मुल्य दुकान का अनुज्ञा पत्र जारी था। अपीलाण्ट के विरूद्व रेस्पोडेंट के समक्ष शिकायतकर्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दायर किया गया कि अपीलांट द्वारा अपने उचित मुल्य दुकान ग्राम रामपुरा उर्फ रामसरा द्वारा राशन का वितरण ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा व वितरण में भारी अनियमितता दर्शायी गई जिस पर अपीलांट के विरूद्व अभियोग दर्ज किया जाकर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट, रिकार्ड की जांच की गई। जांच रिपोर्ट में समस्त तथ्यों को स्पष्ट किया गया जिसके अन्तर्गत प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलांट को 86.07 क्विं. गेहूं, 285.5 लीटर केरोसीन व 6 किलो चीनी का अनुचित ट्रांजेक्शन का दुरूपयोग किया जाना बताया गया, आदि–आदि तथ्यों के आधार पर अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार का

प्रधिकार पत्र निरस्त किया गया जो कि अपीलाधीन निर्णय निम्न आधारों पर काबिले खारिज है:-

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। रेस्पोडेंट द्वारा निर्णय पारित करते समय माइंड अप्लाई नहीं कर अहम कानूनी भूल की है जो कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। रेस्पोडेंट द्वारा निर्णय पारित करते समय अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जिसके अभाव में पारित निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों के विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अपीलाधीन निर्णय में अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया ना ही जांच रिपोर्ट मे अपीलांट को तथ्यों से अवगत करवाए जाने का अवसर प्रदान किया जिसके अभाव में अपीलाधीन निर्णय इकतरफा होने से काबिले खारिज है। अपीलांट के विरूद्ध दर्ज एफआईआर सं. 30/2017 कार्यवाही का ठोस आधार नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को आधार मान कर कार्यवाही की गई है जबकि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्वेषण अधिकारी द्वारा तथ्यों की गहराई तक जांच कर दिनांक 30.03.2017 को अदम वकू मामला झूठा माना गया व अपीलांट की अपराध में संलिप्तता नहीं पाई गई, इन तथ्यों को बिना जांच परख के अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया जो कि काबिले खारिज है। जांच रिपोर्ट में प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पॉस मशीन से राशन वितरण का विवरण दर्शाया गया व राशन कार्ड में कोई विवरण दर्ज नहीं होना दर्शाया गया है, को आधार मान कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि उक्त जांच में अनियमितता नहीं होना पाया गया। वितरण का दर्ज रिकॉर्ड राशन कार्ड में न किया जाना केवल लिपिकीय त्रुटि है जो कि अपीलांट द्वारा जान बूझ कर कारित नहीं किया गया। पॉश मशीन से वितरण तकनीकी कारणों से सही नहीं होने के कारण पॉश मशीन द्वारा राशन वितरण में त्रुटि दर्ज है जबकि अपीलांट द्वारा जान बूझ कर त्रुटि कारित नहीं की गई, इन तथ्यों की अनदेखी कर रेस्पोडेंट द्वारा अहम कानूनी भूल की है जो कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अपीलांट द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक के टीम के निर्देशानुसार अपने दुकान पर स्टॉक रखा गया राशन जो दिनांक 10.11.2017 को अस्थायी उचित मुल्य दुकानदार प्रीतपाल को हस्तांतरित किया गया जिसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलांट द्वारा दिनांक तक राशन वितरण में कोताही बरती गई। जांच रिपोर्ट के तथ्यों का ठीक ढंग से मुल्यांकन किए बिना इकतरफा निर्णय पारित किया गया जो कि काबिले खारिज के है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 02.01.2017 को मौका जांच रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें स्वयं ने यह लिखित में स्वीकार किया है कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात निर्णय पर पहुंच पाएंगे किन्तु राजनैतिक दबाव व ग्रामीणें के दबाव में जांच अधिकारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट तैयार की गई जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो कि दबाव में तैयार रिपोर्ट के अधार पर पारित किया है इसलिए नैसर्गिग न्याय के विरूद्ध होने से काबिल खारिजी है।

अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय रेस्पोडेंट द्वारा केवल एंट्री को आधार बना कर इकतरफा कार्यवाही की गई है जबकि उक्त जांच का भौतिक सत्यापन जांच अधिकारी द्वारा नही किया गया जिसके अभाव में रेस्पोडेंट द्वारा जारी निर्णय काबिले खारिज है।

अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय में वर्णित राशन, मिट्टी का तेल व चीनी आदि सामग्री की माननीय उच्च न्यायलय के आदेश उपरांत राशि 1,75,000 रूपये राज्य सरकार के पक्ष में जमा करवा दिए है। अपीलांट के विरूद्ध विभाग को कोई शुल्क/शास्ति बकाया नहीं है किन्तु इसके बावजूद भी इन तथ्यों की अनेदखी कर अहम कानूनी भूल की है, जो कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण काबेल ए खारिजी है।

अपीलाधीन निर्णय का अपीलांट को पूर्व में कोई ज्ञान नहीं रहा। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन के जांच रिपोर्ट की सुनवाई का अवसर कभी प्रदान नहीं किया गया जिस कारण अपीलाधीन निर्णय के जांच कार्यवाही का अपीलांट को ज्ञान नहीं रहा। अपीलांट दिनांक 18.02.2020 को रेस्पोडेंट कार्यालय में अपने विरूद्ध हुई जांच हेतु पता किया तो सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा बताया गया कि अपीलांट कि विरूद्ध हुई एकतरफा जांच में अपीलाधीन निर्णय पारित किया जा चुका है जिस पर अपीलांट ने दिनांक 18.02.2020 को ही वकील मुकर्रर कर नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जो कि दिनांक 04.03.2020 को अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.03.2020 को सर्वप्रथम अपीलांट के ज्ञान में आया। दिनांक 04.03.2020 को हनुमानगढ़ स्थित न्यायालय में वकील मुकर्रर कर आज अविलंब श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है जो अपील अपीलांट के ज्ञान से अंदर मियाद है।

अपीलाण्ट ने आदेश दिनांक 06.04.2017 से व्यथित होकर उक्त आदेश को अपास्त करने हेतु उक्त अपील पेश की। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया।

वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र आदेश दिनांक 06.04.2017 को शिकायत विरूद्ध 02.01.2017 को प्राप्त होने पर निरस्त किया गया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस सुनवाई हेतु जारी नहीं किया गया। गांव में रंजिशवश शिकायत की गई जिस पर उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। माननीय हाईकोर्ट में राशि 1,75,000 रूपये निर्देशानुसार जमा कराने पर अपीलाण्ट की जमानत स्वीकार की गई। अपीलाण्ट के विरूद्ध विभाग का कोई शुल्क/शास्ति बकाया नहीं है किन्तु इसकी अनदेखी कर विभाग ने कानूनी भूल की है। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.04.2017 विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल खारिज है। उक्त आदेश निरस्त कर प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ने राशन का कम वितरण कर गबन किया है। राशन कार्डो में राशन वितरण का इन्द्राज नहीं पाया गया। अपीलाण्ट की अपील निरस्त फरमाई जावे।

उभय पक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.04.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई हैं। अपीलाण्ट के वकील द्वारा दौराने बहस यह कथन किया गया कि अपीलाण्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ के यहां अपना जवाब पेश कर दिया था परन्तु जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलाण्ट को उसके बाद तारिखों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी गई। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये वगैर ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलाण्ट को निर्णय के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं होना और इसी कारण से देरी से अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से अपीलार्थी के उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं होने पाये है। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश में अपीलाण्ट को नहीं सुना जाना प्रतीत होता है। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा अपीलार्थी के जवाब को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिससे यह जाहिर होता है कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उक्त विवेचनानुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य बनती है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2017 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ Remand किया जाता है कि वे पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य के लिए समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़